NCRPS-6208/2023

Headquarters Office
Subedarganj, Prayagraj

No. 797-E/NCR/Policy/2023/Attendance Register Dated: .04.2023

All PHODs / CHODs, NCR HQ office, Prayagraj,
Divisional Railway Manager AGRA, JHANSI & PRAYAGRAJ,
CWM/JHS WS, CWM/ MLR WS, CWM/ RSK/STLI, CWM/CPOH Prayagraj,
Sr.DPO AGRA, JHANSI & PRAYAGRAJ, Dy.CPO/Const PRYJ, Dy.CPO/WS/JHS,
SPO/MLR, APO /RSK/STLI, CEE/WS/ JHS, Dy.CE/WS/JHS, Dy.CMM/GSD JHANSI,
Dy.CE/ Bridge Line JHANSI AGRA, Prayagraj, Dy.CE/ TMC Line JHANSI DyCE / CSP Prayagraj, Staff Officer/RPF/NCR/HQ/Prayagraj. Dy FA&CAO/G/NCR,
Principal- ETC/ Kanpur. Principal- IRTMTC / Prayagraj, Principal- CETA / Kanpur, Principal- Supervisor Training Centre /Jhansi, Principal- Area Training Centre/Jhansi, Principal- Transportation Training Centre, Subedarganj / Prayagraj, Principal- Basic Training Centre, Loco/Jhansi, Principal- BTCC&W/Jhansi, Principal- BTC, Wagon Workshop/Jhansi, Principal- C&W training Centre/ Kanpur, Principal- Permanent Way Training Centre/JHS, Principal- Electric Training Centre/TRD/Jhansi.

Sub: उत्तर मध्य रेलवे में कार्यरत कर्मचारियो की उपस्थिती / अनुपस्थिति दर्ज करने, उपस्थिती पंजिका/मस्टर रोल को प्रत्येक कार्य दिवस पर निर्धारित समाय पर क्लोज करने व कटिंग/ओवर राइटिंग के संबंध में।

Ref: उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/यां. का पत्र क्रमांक 20220300708/पीसी/वी1/एन/ जेएचएस दिनांक 19.04.2023.

*****

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/यां./उमरे का पत्र क्रमांक 20220300708/पीसी/वी1/एन /जेएचएस दिनांक 19.04.2023 को इस पत्र के साथ सलग्न कर अग्रिम कार्य वही हेतु भेजा जा रहा है।

उत्तर मध्य रेलवे के समस्त विभागाध्यक्षों, मण्डल रेल प्रबन्धको, मुख्य कारख़ाना प्रबन्धको एवं ब्रांच अधिकारियों से अनुरोध है की कर्मचारियो की उपस्थिती / अनुपस्थिति दर्ज करने, उपस्थिती पंजिका/मस्टर रोल को प्रत्येक कार्य दिवस पर निर्धारित समाय पर क्लोज करने व कटिंग / ओवर राइटिंग के संबंध में दिये गए दिशा निर्देशों का अधीनस्थ कार्यालयो में कड़ाई से पालन सुनिशित कराये।

DA: as above

Digitally Signed by Adesh Kumar Mishra
Date: 24-04-2023 18:15:48
Reason: Approved

(आदेश कुमार मिश्रा)
सहा.कार्मिक अधि।/मुख्या.
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

C/- Secretary to GM for kind information to General Manager.
C/- Secretary to AGM for kind information to AGM.
C/- All Personnel Officer in HQ.
C/- All Recognized Union and Associations.

प्रणाली सुधार/10/2023

पत्र संख्या :20220300708/पीसी/वी1/एन/जे एच एस

प्रधान कार्यालय,
सतर्कता शाखा
सूबेदारगंज,
प्रयागराज

पीसीपीओ/उ. म. रे./प्रयागराज
मण्डल रेल प्रबन्धक
उ. म. रे., प्रयागराज,झाँसी,आगरा

दिनांक: 19.04.2023

बिषय : उत्तर मध्य रेलवे मे कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिती/अनुपस्थिति दर्ज करने ,उपस्थिती पंजिका/मस्टर रोल को प्रत्येक कार्य दिवस पर निर्धारित समय पर क्लोज करने व कटिंग/ओवरराइटिंग के संबंध मे।

उत्तर मध्य रेलवे सतर्कता विभाग द्वारा उपरोक्त विषय पर उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले मंडल के डिपो/कार्यालय मे किए गए सतर्कता निवारक जांच के दौरान यह संज्ञान मे आया कि उक्त डिपो मे कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिती पंजिका मे उनके हस्ताक्षर न कराकर उनके नाम के कालम मे पर्यवेक्षकों द्वारा उपस्थिती/अनुपस्थिति 'P'/'A' लिखकर दर्ज की जाती है जिससे यह पता लगाना मुश्किल है कि वास्तव मे कोई कर्मचारी उक्त कार्य दिवस पर कार्यालय मे उपस्थित हुआ है या नही। इस कार्यप्रणाली मे सुधार हेतु कर्मचारियों की उपस्थिती पंजिका पर स्वयं कर्मचारियों के द्वारा हस्ताक्षर किए जाना चाहिए जो कर्मचारी व पर्यवेक्षक दोनों के हित मे उचित प्रतीत होता है।

उक्त उपस्थिती पंजिका पर किसी पर्यवेक्षक/अधिकारी द्वारा उक्त कार्यदिवस मे उपस्थित/अनुपस्थित कुल कर्मचारियों कि संख्या लिखकर एवं अपने हस्ताक्षर करके क्लोज भी नही किया जा रहा है,जिससे किसी कर्मचारी के किसी भी कार्यदिवस मे कार्यालय न आने कि स्थिति मे, उक्त पंजिका मे उसके नाम के सम्मुख/कालम को उस दिवस विशेष मे यदि खाली छोड़ दिया जाता है तो बाद मे manipulate करते हुए उसकी उपस्थिती दर्ज/मार्क करने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है।इस कार्यप्रणाली मे सुधार हेतु कर्मचारियों के द्वारा निर्धारित समय पर हस्ताक्षर उपरांत कुल उपस्थित/अनुपस्थित,अवकाश,सहित कर्मचारियों की संख्या दर्शाते हुए पर्यवेक्षक के तिथि सहित हस्ताक्षर होना उचित होगा ।

उक्त मस्टर रोल/ उपस्थिती पंजिका पर कटिंग/ओवरराइटिंग व व्हाइटनर का प्रयोग पाया गया है जिससे यह दर्शाता है कि मस्टर रोल/उपस्थिती पंजिका मे manipulate की संभावना से इंकार नही किया जा सकता ,इस कार्यप्रणाली मे सुधार हेतु पूर्णरूप से कटिंग/ओवरराइटिंग व व्हाइटनर का प्रयोग वर्जित किया जाना चाहिए जो कर्मचारी,पर्यवेक्षक एवं प्रशासन के हित मे उचित प्रतीत होता है। ऐसी कमियाँ हो सकता कि अन्य यूनिट्स मे भी हो रही होंगी ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध मे मौजूदा विभिन्न दिशा निर्देशों को सभी संबन्धित इकाइयों मे समय समय पर ड्राइव का आयोजन कराने हेतु निर्देशित करने कि व्यवस्था करें जिससे कि उक्त के संबंध मे हो रही अनियमितताओं को सुधारा जा सके।

इसे वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(हरीश कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधि./यां.